भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.5017**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

घटिया माल का आयात और विक्रय

5017. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय बाजार में घटिया माल के आयात और विक्रय की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे आयात और विक्रय को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): वर्तमान वित्त वर्ष 2024-2025 (फरवरी, 2025 तक) में, राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आईपीआर, बीआईएस और एफएसएसएआई मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अवमानक वस्तुओं के आयात के विरूद्ध कुल 206 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी कीमत 206.62 करोड़ रुपये है।

(ग): i. सीबीआईसी के अधीन राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय भारत में अवमानक वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए निरंतर निगरानी रखते हैं। ऐसे मामलों का पता चलने पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और अन्य संबद्ध अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, भारतीय सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) संबंधित नियामक एजेंसी की चयनात्मकता मानदंडों के आधार

पर जोखिम-आधारित चयनात्मक जॉच और परीक्षण की नीतियों को लागू करती है, जिससे अवमानक वस्तुओं के आयात के प्रयासों को विफल किया जाता है।

ii. इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 और खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 देश में खाद्य वस्तुओं के आयात को विनियमित करता है। एफएसएसएआई द्वारा मंजूरी या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दस्तावेजों की जांच, दृश्य निरीक्षण, नमूनाकरण और परीक्षण के अध्यधीन है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

iii. उपरोक्त के अलावा, अपने घरेलू उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, भारत में पर्यावरण अपने लोगों के जीवन और स्वास्थ्य, पादपों और पशुओं की रक्षा के लिए एक विस्तृत और मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क और संस्थागत ढांचा मौजूद है। भारतीय उपभोक्ताओं और उत्पादकों के संरक्षण के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान विद्यमान हैं क्योंकि आयातित वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, नियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों के अध्यधीन होती हैं। घरेलू वस्तुओं पर लागू बीआईएस मानक आयातित वस्तुओं पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा, पादप और पादप आधारित उत्पादों का आयात पादप संगरोध उपायों और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों के अध्यधीन है, पशु और पशु आधारित उत्पादों का आयात स्वच्छता आयात परमिटों के अध्यधीन है और खाद्य/खाद्य वस्तुओं का आयात एफएसएसए मानकों के अध्यधीन है।

iv. घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाने वाले सस्ते आयातों के विरुद्ध, वाणिज्य विभाग का एक संबद्ध कार्यालय, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित याचिका के आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विभिन्न जांच (एंटी-डंपिंग/संरक्षण (मात्रात्मक प्रतिबंध)/काउंटरवेलिंग) करता है। डीजीटीआर में प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनों की जांच करता है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार आयातकों, निर्यातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करता है। इस जांच के आधार पर, डीजीटीआर अंतिम रूप से विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

****